DrGenius Academy

Learning with DrGenius Academy

IIIrd GRADE

INSTRUCTION FOR CANDIDATES

EDUCATION
SHAPES YOUR
FUTURE

www.drgenius.academy Contact Us :- +91 9636280355

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

शैक्षणिक योग्यता

ए.

सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) कम से कम 50% अंकों के साथ और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

या

सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) कम से कम 45% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो), एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम - 2002 के अनुसार

या

सीनियर सेकेंडरी (या इसके समकक्ष) कम से कम 50% अंकों के साथ और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक।

अथवा

सीनियर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) कम से कम 50% अंकों के साथ तथा शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) (विशेष शिक्षकों के लिए)

अथवा

स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)

नोट:

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर न्यूनतम प्रतिशत अंकों की शर्त उन अभ्यर्थियों के मामले में लागू नहीं होगी, जिन्होंने 29 जुलाई, 2011 से पहले प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।
2. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2011 या उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

ख.

1. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 (स्तर I) राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 16-12-2020 द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अध्यापक लेवल-I, सामान्य शिक्षा के पदों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डी.एल.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा लेवल-I विशेष शिक्षा के पदों के लिए शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षाशास्त्र (विशेष शिक्षा) एवं विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा।

4. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण:- डी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण व्यक्ति को नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5. लेवल I के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्रतिशत अंकों के मानदण्ड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी/ईबीसी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा विशेष योग्यजन श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए अर्हता अंकों में नियमानुसार 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

DrGenius Academy

आयु

- अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

सामान्य निर्देश

मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लेवल I में निम्नानुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा:-

क्रम सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत	
		गैर टीएसपी	टीएसपी
1.	सामान्य/अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	55	
4.	सभी श्रेणियों की विधवाएं और परित्यक्त महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	नियमों के अनुसार दिव्यांग (विकलांग) श्रेणी में आने वाले सभी व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	

DrGenius Academy